



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 08.07.2025

#NABBING THE NARCOS

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/विक्रय पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से 34.500 किग्रा गांजा (अनुमानित कीमत 5,00,000/- ₹0) तथा 01 मोटरसाइकिल की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना /गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 08.07.2025 को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान पुलिस टीम जैसे ही रेलवे कॉलोनी ट्यूबवैल के पास पहुंची तो 02 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अपने साथ बोरा में कुछ लिए खड़े हैं और पास में एक मोटरसाइकिल खड़ी हैं। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये 01 व्यक्ति को रेलवे कॉलोनी ट्यूबवैल के पास से 01 मोटरसाइकिल सहित समय करीब 06.15 बजे पकड़ लिया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र स्व० रूस्तम सिंह के कब्जे से 34.500 किग्रा गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे के संबंध में प्रपत्र मांगे जाने पर दिखाने में असमर्थ रहा। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि यह गांजा हम दोनों मिलकर आने - जाने वाले राहगीरों को बेचकर धन लाभ अर्जित करते हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर मु०अ०सं० 176/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामद 01 मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र स्व० रूस्तम सिंह निवासी कथगवां थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र करीब 38 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 176/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू

- मु०अ०सं० 144/2018 धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क /अबकारी अधिनियम थाना इकदिल जनपद इटावा।
- मु०अ०सं० 274/2016 धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क /अबकारी अधिनियम थाना इकदिल जनपद इटावा।
- मु०अ०सं० 338/2018 धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क /अबकारी अधिनियम थाना इकदिल जनपद इटावा।
- मु०अ०सं० 668/2014 धारा 60,60 एक्साइज एक्ट , एस.वी.टी.1958 थाना इकदिल जनपद इटावा।
- मु०अ०सं० 176/2025 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 34.500 किग्रा अवैध गांजा ।
2. 01 मोटरसाइकिल बजाज सीटी 110 नं० **RJ 14 KX8789** (एमबीएक्ट मे सीज)
3. 01 मोबाइल रियलमी कम्पनी

पुलिस टीम-

प्रथम टीम:- उ०नि० श्री बेचन सिंह प्रभारी एसओजी मय टीम व उ०नि० श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलांस मय टीम ।

द्वितीय टीम-थानाध्यक्ष फ्रेंड्स कॉलोनी श्री अमित कुमार मिश्रा, उ०नि० सन्त कुमार, उ०नि० नितिन चौधरी, उ०नि० अरविन्द यादव, का० मनोज कुमार, का० मनोज, का० सुमित कुमार, का० गौरव उपाध्याय, का० नितिन कुमार ।